लगातार

19/12/18 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। इस वाद में अन्य अभियुक्त को दिनांक 18-12-18 को श्रीमान के द्वारा रिहा किया गया है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा किया जावे।

जमानत के बिंदु पर उभयपक्षों को सुना। अभिलेख एवं आवेदन-पत्र का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 05-10-18 को वाद आरोप गठन हेतु नियत था। दिनांक 29-10-18 को अभियुक्त को आरोप गठन हेतु न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। उसके बावजूद भी अभियुक्त आरोप गठन हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07-12-18 को समस्त अभियुक्त का बंध-पत्र को खंडित कर उनके विरुद्ध गैर-जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आज अभियुक्त वाद की जानकारी उपरांत न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का बयान देता है।

उपरोक्त परिस्थिति एवं तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को 5000/- रु० की दो समान राशि के प्रतिभूओं द्वारा बंध-पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आरोप गठन तक अभियुक्त न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित
[signature]
J.M.1.1

तत्पश्चात
19-12-18 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से मांगा गया रकम का बंध-पत्र, शपथ-पत्र तथा जमानतदार का बेलनामा सहित undertaking न्यायालय में दाखिल किया गया और जांचोपरांत सही पाकर स्वीकार किया जाता है एवं अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित
[signature]
J.M. 1